नम्बर अहकाम की तामील म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/22 वकील वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक 6.1.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
06.1.2023 वकील वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। वकील प्रतिवादी साक्ष्य गवाहान पेश नहीं करना चाहते है, जो प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.01.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	(हस्ताक्षर)
12.1.2023 वकील वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। बहस सुनी गई। वकील वादीनी ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण की संख्या 2 से 3 के विरुद्ध व वादी संख्या 01 के पास रिलीफ व प्रतिवादी संख्या 01 व [illegible] 3 से 12 की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम काछुली तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 42 रकबा 244-08 बीघा (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज
	भूमि अवाप्तशुदा है। खातेदार हिस्सेदारान व किस्म, राशि का बाहिस्सा बराबर 3070/97760 हिस्सा रेकर्ड में इन्द्राज था। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना सम्पूर्ण 3070/97760 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान वर्ष 2019 में किया था और उक्त बेचान के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की भूल से प्रतिवादी संख्या 01 के बेचान को स्थान पर वादी संख्या 01 के पति व वादी संख्या 2 ले 5 के पिता रिड़मलजी का बेचान बताते हुए रेकर्ड में नाम हटाना जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी इन्द्राज कर दी गई। जो कि अशुद्ध प्रविष्टि का अंकन किया है जो निरस्त फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम हिस्सा 3070/97760 खातेदारी घोषित कि[illegible] वकील वादीगण की बहस [illegible] करते हुए प्रतिवादी सं[illegible] ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या [illegible] द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या [illegible] को बेचान किया गया था और इसी दुरस्त रेकर्ड में आमल दरामद की कार्यवाही होनी
02	

[signature]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:24 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चाहिए थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी
की भूल से प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान
पर वादीगण के मुतवफी रिड़मलसिंह का
बेचान बताकर रेकर्ड से नाम हटाया
गया, जो कि गलत हटाया गया है।
वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 को
द्वारा बेचान करने के कारण वादग्रस्त
भूमि में नाम हटाया जाकर वादीगण को
खातेदारी घोषित की जावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस
सुनी और बहस पर मनन किया तथा
पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन
किया। जिसमें पाया कि ग्राम काणूडी तहसील
पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 42
रकबा 244-08 बीघा भूमि के वादी
संख्या 01 के पति व वादी संख्या 2 से 5
के पिता रिड़मलसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 से
12 रिकार्डेड सहखातेदारी में इन्द्राज थी।
जिसमें रिड़मलसिंह व किशोरसिंह का
बहिस्सा बराबर 3070/9760 हिस्सा इन्द्राज
था। जो जमाबंदी प्रदर्श EX-01 के
अवलोकन से स्पष्ट है। EXP-04 बेचाननामा
के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त
भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 01
(किशोरसिंह पुत्र रिड़मलसिंह) द्वारा अपना
सम्पूर्ण हिस्सा 3070/9760 का बेचान
प्रतिवादी संख्या 2 ([illegible])
को किया गया और [illegible] के
आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	पर प्रतिवादी संख्या 2 का नाम प्रविष्ट होना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी की मिलीभगत से प्रतिवादी संख्या 01 के कहने पर रिश्वत लेकर बेचान और कर वादग्रस्त खाते में नाम प्रविष्ट [illegible] गई, क्यों कि [illegible] अंकन गलत किया गया है, क्योंकि [illegible] ने बेचान किया ही नहीं था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बेचान किया गया था। जो राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट साबित है। उक्त तथ्यों को तहसीलदार महोदय ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 2 ने भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना [illegible] हिस्सा बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को किया है और वादग्रस्त खाते में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम प्रविष्टि हटाई जाकर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है, तो आपत्ति नहीं है। उक्त तथ्य वादी पक्ष के बयानात से भी प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम [illegible] तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 42 रकबा 244-08 बीघा खाते में प्रतिवादी संख्या [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा [illegible] राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी [illegible]) [illegible] की जाकर हिस्सा 3070/97760 वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री बनाई जावे। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.15 19:21:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा